मध्यप्रदेश में प्रथम बार व्हीव्हीपीएटी की पर्ची से मत की पुष्टि

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में सभी 65367 मतदान केन्द्रों पर ईव्हीएम के साथ व्हीव्हीपीएटी का उपयोग होगा। बैलेट यूनिट पर अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाते ही व्हीव्हीपीएटी के डिस्प्ले (पारदर्शी खिड़की) में सात सेकेन्ड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी जिसमें अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह सात सेकेण्ड के लिए प्रदर्शित होगा। सभी मतादाताओं से अपील है कि वह बैलेट यूनिट पर मत अंकित करने के पश्चात् व्हीव्हीपीएटी पर प्रदर्शित पर्ची को ध्यान से देखें ताकि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है उसी अभ्यर्थी की पर्ची दे रही है यह सुनिश्चित कर अपने दिए गए मत सही रिकॉर्ड होने की पुष्टि करें। पर्ची व्हीव्हीपीएटी में नीचे बने ड्रॉप बॉक्स में कट कर गिर जाती है तो एक बीप की आवाज सुनाई देती है तथा मत रिकॉर्ड हो जाता है।

मतदान के दौरान मत अंकित करते समय जिस प्रत्याशी को बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबा कर वोट किया है तथा व्हीव्हीपीएटी की पर्ची उसके अनुसार मुद्रित होकर प्रदर्शित नहीं हो रही तो तत्काल पीठासीन अधिकारी से उसी समय संपर्क कर इस बारे में अपनी जानकारी दर्ज कराएं। पीठासीन अधिकारी आपको इस संबंध में कानूनी प्रावधान निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम **49MA** जिसमें पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के लिए (भारतीय दण्ड सहिता की धारा 177 कें अंतर्गत 6 माह तक के कारावास की सजा या 1000 रूपये तक जुर्माना या दोनो से दण्डित किए जाने का उत्तरदायी होगा।) के बारे में चेतावनी देने के पश्चात्, निर्वाचक से आरोप के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में लिखित घोषणा प्राप्त करेगा। यदि निर्वाचक लिखित घोषणा देता है तो पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17क में उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्ट करेंगा, अपनी उपस्थिति मे तथा अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है व्हीव्हीपीएटी से निकलने वाली पर्ची का अवलोकन करेंगे, निर्वाचक को मतदान मशीन में एक टेस्ट वोट देने हेतु अनुज्ञा देगा। यदि आरोप मिथ्या पाया जाता है अर्थात् व्हीव्हीपीएटी की पर्ची निर्वाचक द्वारा अभिलिखित टेस्ट वोट से मेल खाती है तो पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17क में ऐसे टेस्ट वोट को अभिलिखित करेंगा तथा उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा तथा पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17ग के भाग 1 में टेस्ट वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा। तद्पोरांत पूर्व में की गई घोषणा अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करेगा।

विशेष उल्लेखनीय है कि ईव्हीएम एंव व्हीव्हीपीएटी पूर्ण सुरक्षित है एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपयोग हो रही है। अतः निर्भीक होकर दिनांक 28 नवम्बर 2018 को मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।